प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 20.04.2021

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्टरी का छापेमारी कर किया अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद।

आज दिनांक 20.04.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार आगामी पंचायत चुनावों को शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत व अपराध के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अवैध शस्त्र निर्माण/ बरामदगी/ तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्टरी संचालन की सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुये ग्राम भूरा के जंगल में अवैध शस्त्र बनाते 02 अभियुक्त गिरफ्तार करते हुए अवैध शस्त्र फैक्टरी का अनावरण किये जाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । मौके से भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के 05 साथी मौके से फरार हो गये है। जिनकीं गिरफ्तारी हेतु थाना कैराना पुलिस द्वारा जंगलों में कम्बिंग की जा रही है, सभी की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जायेगी। पकड़ी गई अवैध शस्त्र फैक्ट्री में बन रहे अवैध हथियारों का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में अपराध के लिये किया जाना था। जिसकी रोकथाम इस कार्यवाही से की गई है। साथ ही जिनको अवैध हथियार बेचे एवं सप्लाई किए गये हैं। उनका भी पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पूछताछ का विवरणः- अवैध फैक्ट्री में पकडे गये अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि वे देशी तमंचे/ पिस्टल/ राइफल का निर्माण कर कस्बा कैराना एवं आस पास के क्षेत्रों मे मांग के अनुसार तैयार कर मोटी रकम पर बेच देते हैं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. साहिल पुत्र इरशाद निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।
2. इन्तजार पुत्र हनीफ निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. अवैध 16 तमंचे (15 तमंचे 315 बोर व 01 तमंचे 12 बोर)।
2. अवैध 09 जिन्दा कारतूस (04 कारतूस 315 बोर व 05 कारतूस 12 बोर)।
3. अवैध 03 राइफल (01 राइफल 315 बोर, 01 राइफल पोनिया 315 बोर, 01 राइफल पोनिया 12 बोर)

4. 03 प्लास, 01 पेचकस, 20 छोटी स्प्रिंग, 09 बडी स्प्रिंग, 19 फायर पिन बनाने के रिपट ।
5. 17 हैमर व ट्रिगर, 02 सुम्बी, 03 छैनी, 14 छोटे बर्मे, 10 बडे बर्मे, 02 रैमर ।
6. 01 ड्रिल मशीन पर ब्लेड चढाने का पाना, 01 कच्ची पेन्सिल, 01 पारा लेबल ।
7. 15 बाडी तमंचे की, 03 नाल, तमंचा बाडी बनाने की लोहे की दो बडी चादर ।
8. 01 इलेक्ट्रिक बोर्ड, 01 वैल्डिंग मशीन मय वायर, 35 वैल्डिंग करने की छोटी छडे ।
9. इस्तेमाली 27 ग्राइंडर मय वायर ब्लेड 01, ग्राइंडर ब्लेड 07, लोहे का तार 02 ।
10.ड्रिल मशीन 01, वाक/शिकंजा 02, गुनिया 02, 07 छोटी बडी कटी हुयी नाल ।
11. 26 रेत्ती, रत्ती चपटी 06, लकडी के गुटखे कटे हुए छोटे बडे 09 अदद, आरी लोहा 02 ।
13. नये ब्लेड 34, हथौडे मय लकडी बैंटा 02, एक हथौडी मय बैंटा, 01 आरी लकडी काटनी ,01 रैमर हैंडल ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 राहुल कादियान थाना कैराना जनपद शामली।
2. उ0नि0 सचिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
3. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र थाना कैराना जनपद शामली।
4. उ0नि0 राजकुमार चन्देल थाना कैराना जनपद शामली।
5. का0 जितेन्द्र थाना कैराना जनपद शामली।
6. का0 ओरेश थाना कैराना जनपद शामली।
7. का0 नितेश थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा 18 पेटी अवैध पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का एवं तस्करी में प्रयुक्त इनोवा कार बरामद, तस्कर फरार।</u>

दिनांक 19.04.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार पंचायत चुनाव को शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे अवैध शराब की बरामदगी/निर्माण/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस को सूचना मिली थी कि यमुना ब्रिजकी ओर एक इनोवा कार से अवैध शराब तस्करी कर लाई जा गई है। जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना पुलिस द्वारा छापेमारी कर 18 पेटी अवैध पव्वे देशी शराब चार्ली हरियाणा मार्का एवं तस्करी में प्रयुक्त इनोवा कार बरामद हुई है। जबकि तस्कर पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही शराब सहित गाडी छोडकर फरार हो गये। जिनकी गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जायेगी। बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अब तक की गई जानकारी से बरामद शराब का उपयोग पंचायत चुनाव के लिए किया जाना था।

<u>नाम व पता फरार अभियुक्तगणः-</u>

1. तरसपाल पुत्र करम सिंह निवासी जनमाना थाना सिम्भालका जनपद पानीपत, हरियाणा।
2. मनीष पुत्र नामालूम निवासी जनमाना थाना सिम्भालका जनपद पानीपत, हरियाणा।
3. सुधीर कश्यप पुत्र मांगेराम निवासी हाथीकरोंदा थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. 18 पेटी अवैध पव्वे देशी शराब चार्ली हरियाणा मार्का।
2. तस्करी में प्रयुक्त इनोवा कार नम्बर DL-4CE/2581 ।

<u>बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कैराना जनपद शामली।
2. का0 नितेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत कस्बा जलालाबाद देहात माजरा इरशादपुर प्रधान पद के प्रत्याशी द्वारा समर्थकों के साथ वोटर को लुभाने के लिए रास्ते पर लगाए गये LED लाईट बरामद, आचार संहिता का उल्लंघन का अभियोग पंजीकृतः-

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार पर आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत मतदाताओं को प्रलोभित करने से रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा जनपद पुलिस को निरन्तर सूचना संकलित कर कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस क्रम में दिनांक 19.04.2021 को थाना थानाभवन पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा जलालाबाद देहात के माजरा इरशादपुर में प्रधान पद प्रत्याशी द्वारा समर्थकों के माध्यम से वोटर को लुभाने के लिए आम रास्तों पर LED लाईट लगवाये जा रहे हैं। सूचना पर तत्काल थानाभवन पुलिस माजरा इरशादपुर के रास्ते पर पहुंची, जहां लगाई गई LED लाइट को उतरवाकर 02 LED लाइट, 10 स्ट्रीट लाइट, पेंचकस, प्लास, टेप जब्त किये गये है। उक्त LED लाइटों को कब्जे पुलिस में लेकर प्रधान पद प्रत्याशी व उसके समर्थकों के विरुद्ध थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसके संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। प्रधान पद प्रत्याशी महबूब पुत्र बाबू निवासी मौहल्ला शाहगाजीपुरा कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है उसे पूर्व में ही कोर्ट में बाउण्डाउन कराया गया है, जिसकी शर्तों का उल्लंघन होने के कारण थाना थानाभवन पुलिस बॉण्ड की धनराशि जब्त किये जाने की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट संबंधित न्यायालय को भेजी जा रही है। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा बताया गया कि ऐसे कई मामलों में जनपद पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई एवं उनके द्वारा निरन्तर निगरानी कराई जा रही है। यदि किसी के पास ऐसी जानकारी हैं जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इस संबंध में पुलिस को सूचित करें। जिससे कि सम्बन्धित के विरुद्ध भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कराई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोग चुनावों के दृष्टिगत पाबन्द कराये गये हैं और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके चिन्हित किया जा रहा है, जिससे कि उनके विरुद्ध भी पाबन्दी की धनराशि भी जब्त कराई जा सके।

Tulsi
Street
Light
Extension